

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठसीन अधिकाारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 213 / 2021

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये

1 मूला सवाई पि. नो. राजलसाम पुत्र मलाराम
रावल स्वरूपा पि. नो. राजलसाम पुत्र नोपा खानु,
उकला, गणपत पि. नो. राजलसाम नगाराम,
हपाराम पि. शंकर, धाईराम बेवा शंकर मूला,
शैलान बेना पि. हिमता, रावलराम वल्द
माना मोती वल्द झंगरा वगैहरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 मू-राजस्व अधिनियम सपठित
नियम 60 मू-अभिलेख नियम 1970

आदेश

दिनांक 01.12.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 मू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 मू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पाट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चला रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रोवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम लाखणियों की ढाणी में एक ग्रोवल सडक / डामर सडक / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो भवानगर से बामसीन सरहद तक रास्ता तक वर्तमान में चला रहा है। ग्राम लाखणियों की ढाणी के संलग्न परिशिष्ट अ में प्रस्तावित परिवर्तन खतीनी के अनुसार भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरगाला में किया गया है, उक्त कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 मू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 मू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केमप लाखणियों की ढाणी में तहसीलदार पंचपदरा ने मजूम आम में जांच कर जाहिर किया गया कि रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर ग्राम को जोड़ने वाली सडक कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाला में खातेदार के नाम ही दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की आमजन को असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक यह रास्ता होगा। चूंकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पाट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि

में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सड़क / डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं, रास्ते की भूमि संबंधित खालदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेंगी।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार पंचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पाट/04 जगपुर विनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सड़क / डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग /उपभोग में ले रहे हैं। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर ग्रेवल रास्ता चालू हालत में होने की तार्ईद की है व कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। भूमि धारक तहसीलदार पंचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पंचपदरा की ओर से ग्राम में रास्ता कटान हेतु के ग्रामों टाणियों व मजरां के अवलूद रास्ते के लिए जोड़ने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कराना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन /तरसीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरसीम का आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी तहसीलदार पंचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर ग्राम में पडोस के ग्रामों टाणियों व मजरां के अवलूद रास्ते को जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे है। ग्राम लाखाणियों की टाणी के संलग्न परिशिष्ट अ में प्रस्तावित परिवर्तन खतौनी के अनुसार भूमि रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा बरंग लाल मुताबिक तरसीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरसीम खतौनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पंचपदरा को दिये जाते हैं , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खालदार के नाम खाते से ही दर्ज रहेंगा। तरसीम खतौनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन भाग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को केम कोर्ट लाखाणियों की टाणी में मजमें आम में सुनाया गया।

(नरेशा रासीम)

भू-अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा